फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 01-वेतन	13851.04	30.00	30.00	30.00	13821.04
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्युनल 29-अनुरक्षण	200.00	30.00	30.00	30.00	170.00
योग-	**14051.04**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**13991.04**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 49-चिकित्सा व्यय	200.00	230.00	30.00	30.00	230.00
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्युनल 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	80.00 20.00	100.00 30.00	20.00 10.00	20.00 10.00	100.00 30.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

49-चिकित्सा व्यय					
योग -	**300.00**	**360.00**	**60.00**	**60.00**	**360.00**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

क- मद संख्या 01- वेतन (परिवहन अधिष्ठान) :- कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न होने के कारण।

ख- मद संख्या 29-अनुरक्षण (एम0ए0सी0टी0 अधिष्ठान) :- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों से अनुरक्षण सम्बन्धी प्रत्याशित प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण ।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

क- मद संख्या 49-चिकित्सा व्यय (परिवहन अधिष्ठान) :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 07-11-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रेषित आय-व्ययक अनुमान में परिवहन अधिष्ठान योजना की मान मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय में रू0 300.00 लाख के बजट की मांग का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र रू0 200.00 लाख का बजट प्रावधानित होने के कारण।

ख- मद संख्या 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय (एम0ए0सी0टी0 अधिष्ठान) :- न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27-03-2018 के क्रम में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों को दिनांक 01-01-2016 से लागू किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में अधिक धनराशि के बजट की मांग मानक मद संख्या-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में किये जाने के फलस्वरूप लम्बित बजट मांग पत्रों का निस्तारण किये जाने की आवश्यकता होने के कारण।

ग- 49-चिकित्सा व्यय (एम0ए0सी0टी0 अधिष्ठान) :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 07-11-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रेषित आय-व्ययक अनुमान में एम0ए0सी0टी0 अधिष्ठान योजना की मानक मद संख्या 49-चिकित्सा व्यय में रू0 75.00 लाख के बजट की मांग का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र रू0 20.00 लाख का बजट प्रावधानित होने के कारण। वर्तमान में उक्त संक्रमण हेतु प्रत्याशित मदों में बजट की उपलब्धता शून्य है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1- 617, दिनांक 14 .03.2024

	सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
ह0/- (के0पी0 सिंह) विशेष सचिव, परिवहन विभाग।	ह0/- (सिद्धार्थ श्रीवास्तव) अपर निदेशक, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन।

संख्या-31 /2024/606 /तीस-3-2024 दिनॉक 16 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।